सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा.सं. 23-विविध/3/2021-क्रू-नौमनि (सी.सं.6687) **दिनांक: 06.03.2024**

नौमनि आदेश सं. 05/2024

विषय: जनरल पर्पज़ रेटिंगों के समुद्र-पूर्व पाठ्यक्रमों में भर्ती और मैरिटाइम कैटरिंग में सर्टीफिकेट कोर्स हेतु और अनुसूचित जनजाति में आनेवाले लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के मिनिकॉय द्वीप के मूल निवासियों के लिए सीडीसी जारी करने हेतु शैक्षिक योग्यता में छूट-संबंधी।

जबकि, नौवहन महानिदेशालय (नौमनि) को शुरू में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप (यूटीएल) से एक औपचारिक निवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में आनेवाले मिनिकॉय द्वीप के व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता मानदंड में छूट की मांग की थी। निवेदन में विशेष रूप से 6 महीने के जीपी रेटिंग कोर्स और मैरीटाइम कैटरिंग (सीसीएमसी) में 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए प्रवेश आवश्यकताओं को लक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यूटीएल ने इन व्यक्तियों को सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र (सीडीसी) जारी करने का अनुरोध किया।

2. और जबकि, निदेशालय ने दिनांक 09.05.2017 के नौमनि आदेश सं. 2017 का 01 (फा. सं. 16-टीआर(1)/2005-II) के माध्यम से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में "दसवीं कक्षा उत्तीर्ण" से "आठवीं कक्षा उत्तीर्ण" तक छूट की अनुमति दी। इस परिवर्तन का उद्देश्य यूटीएल में प्री-सी रेटिंग पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के मिनिकॉय द्वीप समूह के मूल निवासियों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना था। सीडीसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी छूट दी गई है। यह छूट तीन साल की निर्दिष्ट अवधि के लिए दी गई थी और 8 मई 2020 तक वैध रही।

3. और जबकि, निदेशालय ने दिनांक 09.03.2021 (फाइल. नं. 23-विविध/3/2021-क्रू -नौमनि) (सी. नं. 6687) के नौमनि आदेश संख्या 11/2021 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में आनेवाले यूटीएल मिनिकॉय द्वीप समूह के मूल निवासियों के लिए शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि की और तीन साल की अवधि के लिए यानी 08 मई 2023 तक बढ़ा दिया।

....2

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस,कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

4. इस मामले पर विचार करते हुए, केंद्र सरकार को वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958(यथासंशोधित) की धारा 456 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तदुपरांत दिनांक 14.12.1960 के पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं एसओ सं 3144 के माध्यम से नौवहन महानिदेशक को दिए गए अधिकार को ध्यान में रखते हुए नौवहन महानिदेशालय के नौमनि आदेश सं 01/2017 और नौमनि आदेश सं 11/2021 के माध्यम से प्रदान की गई छूट आगे तीन साल की अवधि के लिए यानी 8 मई, 2026 तक लागू रहेगी।

5. इसे नौवहन महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मनीष

(कप्तान मनीष कुमार)
नॉटिकल सर्वेक्षक-सह-
उप नौवहन महानिदेशक(क्रू)

सेवा में,

1. सरकारी नौवहन कार्यालय (मुंबई/चेन्नई/कोलकाता)
2. सभी समुद्री वाणिज्य विभाग।
3. नौमनि वैबसाइट के माध्यम से सभी हितधारक

(अस्वीकरण: हिंदी या अंग्रेज़ी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा)

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस,कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in